पत्र संख्या-स0द0/25क/2024-25/ 1038 /राज्य कर

कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचल दल अनुभाग)

लखनऊ:: दिनॉक 14 अक्टूबर, 2024

समस्त,

जोनल अपर आयुक्त/

अपर आयुक्त रोड-2 (वि0अनु0शा0)/

संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0)/

उपायुक्त (वि०अनु०शा०)/सहायक आयुक्त (वि0अनु0शा0)/(स0द0)/राज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) (स0द0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2024 में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भईया दूज, छठ पर्व एवं सहालग के दृष्टिगत वाणिज्यिक गतिविधियां अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के उद्देश्य से बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों पर विभिन्न प्रकार की स्कीम घोषित की जाती है तथा मोटर व्हेकिल, दुपहिया वाहनों, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, किराना, मेवा, मिठाई, चाकलेट, पान-मसाला, मीठी सुपारी, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेण्ट, बर्तन, क्राकरी, गिफ्ट आइटम व अन्य फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ0एम0सी0जी0) वस्तुओं का क्रय-विक्रय अन्य किसी भी माह की तुलना में इस अवसर पर अधिक होता है। ई-शॉपिंग कम्पनीज, कोरियर कम्पनियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इसी क्रम में दीपावली के अवसर पर विभिन्न बैंकों एवं डाकघरों द्वारा सोने चाँदी के सिक्के बुलियन की बिक्री एवं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसेज में किराना/मेवा का भण्डारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोक व बड़े व्यापारियों स्टाकिस्टों द्वारा अपने आपूर्ति केन्द्रों गोदामों पर भी उक्त बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है। अतएव ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एफ0एम0सी0जी0 का व्यापार करने वाली फर्मों की गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है। बड़े पैमाने पर पटाखों एवं आतिशबाजी के सामानों की बिक्री किए जाने हेतु भण्डारण किया जाता है। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत राजस्व रक्षा की दृष्टि से सघन प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में जोन में कार्यरत वि0अनु0शा0 इकाईयों एवं सचल दल इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि त्योहारों के दौरान करापवंचन की दृष्टि से परिवहन एवं भण्डारण किए जाने वाले माल के सम्बन्ध में विशिष्ट अभिसूचना का संकलन करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जनपदों में कार्यरत सचलदल इकाइयों को इस प्रकार परिनियोजित किया जाए कि कोई भी परिवहन का मुख्य मार्ग छूटने न पाए एवं माल के परिवहन से सम्बन्धित मार्गों एवं संदिग्ध वाहनों की सतत जांच करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में किसी व्यापारी/करदाता/ट्रांसपोर्टर का उत्पीड़न न हो ।

14/10/24

(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।